प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'बीस'

प्रश्न सं. [क्र. 7156]

[27/3/2017] परिशिष्ट "३५" प्र. क्र. 7156

क्र. एफ 1—57 / स्था. / प्र.रा.आ. / 2016 / 13 / :: मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 24 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, **जिला—आगर मालवा** में पदस्थ निम्नलिखित राजस्व निरीक्षकों को निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिले के कलेक्टर द्वारा किए गए कार्य विभाजन के अनुसार निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर, नायब तहसीलदार के रूप में कार्य संपादन करने के लिए, उक्त संहिता में उल्लिखित तहसीलदार की शक्तियां प्रदान करती है :—

स.क्र.	राजस्व निरीक्षक का नाम
1	2
1.	श्री चैनसिंह भिलाला
2.	श्री कुमेर सिंह भिलाला
3.	श्री शौकत अली
4.	श्री नरेन्द्र कुमार बरोठिया

2. शर्तें :—

1. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक कलेक्टर द्वारा कार्य विभाजन करने एवं क्षेत्रीय अधिकारिता के निर्धारण के पश्चात् ही शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे। यदि निर्धारित क्षेत्रीय अधिकारिता के बाहर शक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो किया गया कार्य अकृत तथा शून्य माना जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए ऐसे राजस्व निरीक्षकों को, जो गृह जिले में पदस्थ हैं, कलेक्टर कार्य विभाजन कर, गृह तहसील में क्षेत्रीय अधिकारिता प्रदान नहीं करेंगे।

3. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक नायब तहसीलदार की पदमुद्रा का प्रयोग एवं कर्तव्यों का निर्वहन उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार नायब तहसीलदार द्वारा किया जाता है।

4. इस अधिसूचना द्वारा इस प्रकार सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक की यह पदोन्नति संविदा नियुक्ति, तदर्थ पदोन्नति या नियुक्ति नहीं है। इससे राजस्व निरीक्षक को वरिष्ठता में कोई लाभ, पदोन्नति में लाभ, वेतन का लाभ या अन्य कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होगा।

5. इस अधिसूचना द्वारा सशक्त किए गए राजस्व निरीक्षक का जिले से बाहर स्थानांतरण होने या पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती या स्थानांतरण या संविदा नियुक्ति से जिले में नियमित नायब तहसीलदार की पदस्थापना होने पर सबसे कनिष्ठ अर्थात् उक्त अधिसूचना में जिले में सबसे निचले क्रम के राजस्व निरीक्षक को प्राप्त तहसीलदार की शक्तियां स्वतः समाप्त समझी जाएगी तथा कलेक्टर द्वारा दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता समाप्त हो जाएगी।

6. राज्य सरकार उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त शक्तियां बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी वापस ले सकेगी।

7. उक्त अधिसूचना द्वारा प्रदत्त अधिकारों का क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(के.के.खरे) 12-5-16
प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.
एवं पदेन सचिव,
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग

परिशिष्ट "क" पृ. 7156

कार्यालय कलेक्टर जिला आगर-मालवा, (म.प्र.)

E-Mail: dmagarmalwa@mp.gov.in, Telephone. 07362-259100

::आदेश::

आदेश क्रमांक/डी–1/भू–अभिलेख/2017/38-36 **आगर–मालवा, दिनांक 14 .3.2017**

कार्या. आदेश क्रमांक/773/भू–अभिलेख/स्था/2016 दिनांक 16.5.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए तहसील सुसनेर अंतर्गत पटवारी हल्का नंबर 16 एवं 18 में शामिल ग्रामों के राजस्व संबंधी कार्यों के निष्पादन करने हेतु तहसीलदार, सुसनेर को अधिकृत किया जाता है । उक्तानुसार सोयत वृत्त क्रमांक 01 में केवल पटवारी हल्का नंबर 01 से 15 तक, 17 एवं 19 शामिल रहेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

sd/- 14/3/17
(डी.व्ही. सिंह)
कलेक्टर
जिला आगर–मालवा (म.प्र.)

क्रमांक/डी–1/भू–अभिलेख/2017/35-36 **आगर–मालवा, दिनांक 14 .3.2017**
प्रतिलिपी:–

1. मा. श्री मुरलीधर पाटीदार, विधायक, विधानसभा क्षेत्र, सुसनेर की ओर सूचनार्थ ।
2. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुसनेर की ओर उनके पत्र क्रमांक/री/2016/2581 दिनांक 23.7.16 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
3. तहसीलदार, सुसनेर/नायब तहसीलदार, सोयतकलां की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
4. गार्ड फाईल, भू–अभिलेख शाखा, कलेक्टर कार्यालय, जिला आगर–मालवा ।

sd/- 14.3.17
कलेक्टर
जिला आगर–मालवा (म.प्र.)

D:\SPA\SPA-4.docx